

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एम. एम. एल. कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय को आम ले. मा. कि.पू. जयें न कि. जी.जी. आम. कार्यवाही को आम ले.। सम्बन्धित विषय पर लगे हुए में एम. एम. एल. द्वारा ले. को पर. सम्बन्धित एवं विषयक जवाब दिशा लगे विषयों संदेश में।



आम : कुलसचिव  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442929  
फैक्स : (0751) 2341766

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एम/सम्बद्धता/2012/5841

दिनांक: 04/11/13

## // संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के सम्बन्धित सम्. इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्वालियर (0751-2432141) को सत्र 2011-12 एवं 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संगठित बी.एड. पाठ्यक्रमा कक्षा/पाठ्यक्रमों/वेबों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्थ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत विन्मनानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) प्रो. विवेक वापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.एल. यादव, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (4) डॉ. आर.जी. गर्ग, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों ने अनुबंध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर बुल्ड, गेटवेर राशि, वॉलेंट शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राविष्टा संस्था से प्राप्त अनुसूचि/अनुसूचित प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/कारिजिज तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति गद्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्थ अंकित करें।

स्वायी समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2012 को घट क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिसमें कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं गद्य सत्रय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्चदण्ड जमा करणकर जचीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना धन को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेखक जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / सी.ए. / मास्टेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर तागत है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विचारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सांवेव : कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)